

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प 14(8)शिक्षा-1/99 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक

श्री पी.के. जैन,  
यूनिट हेड  
राजपुरा दरीबा माईन्स,  
हिन्दुस्तान जिक लि० दरीबा  
(जयपुर-राजसमन्द)।

विषय - केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु स्कूल मैनेजमेन्ट  
के बदलने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।  
संदर्भ - आपका पत्र दिनांक 7.03.09

प्रमाणित

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा प्रमुख शासन सचिव  
महादय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 7.03.09 के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि  
राज्य सरकार से आपने अपने यहां संचालित सीनियर सेकण्डरी विद्यालय (CBSE से  
सम्बन्ध प्राप्त) के मैनेजमेन्ट को बदल कर राज्य सरकार से NOC चाही गई है। इस  
क्रम में CBSE के Affiliation के Bye-Laws chapter-II के नियम 3(f) एवं नियम 14  
(A) के अनुसार राज्य सरकार की NOC की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस  
संदर्भ में CBSE के स्तर से ही अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न है।

भवदीय

उप शासन सचिव प्रथम